विस्तृत क्षेत्रों का प्रयोग यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए नहीं किया जाता है।

पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार को यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए शहरी लोगों द्वारा किसी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की ख़रीद की कोई जानकारी नहीं है।

दादरा व नागर हवेली : गत दो वर्षों से दादरा व नगर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने को पहले ही हतोत्साहित किया गया है। छोटे तथा गरीब किसानों द्वारा अपने फार्मों में केवल फल ईंधन तथा चारे के पेड़ों के मिश्रित बागान लगाए जाते हैं।

लक्षद्वीप : बड़े पैमाने पर भूमि का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। कोई लेन-देन केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ नहीं उगाए जाते हैं।

गोआ, दमन व द्वीप : इस केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए किसी कृषि भूमि को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

असम : राज्य सरकार के पास गैर-कृषि शहरी लोगों द्वारा यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने और कृषि भूमि को खरीदने के बारे में कोई सूचना नहीं है। जिला राजस्व प्राधिकारियों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उड़ीसा : जानकारी एकत्र की जा रही है।

नागालैण्ड : ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

Price of flats in Saket

3454. SHRI K. GOPALAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi High Court has directed DDA to reduce the price of its self financial flats in Saket in the recent past; if so, details thereof;

(b) how many flats were involved in this regard;

(c) whether DDA complied with directive; if not the reasons therefor;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, whether any amount has been returned to the allottees; if so, details thereof the allottees and amount returned to each allottee; and

(e) if not, whether Government propose to take disciplinary action against Member (Finance) DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, sir. The cost recoverable as per the Delhi High Court's order is as follows:—

Category	Cost recoverable as per the order of the High Court
	Rs.
I (With terrace)	71,100
I (without terrace)	70,100
II	87,900
III	1,19,400

(b) 720 flats.

(c) No, Sir. An appeal has been filed in the Supreme Court and the matter is subjudice.

(d) and (e) Do not arise.

समाज कल्याण बोर्डों का गठन

†3454क. **श्री शरद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये कार्य करने वाले समाज सेवी संगठनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है जबकि

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2908, 3 दिसम्बर, 1986 से स्थानान्तरित।

अनुसूचित जातियों के संगठनों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; यदि नहीं, तो दोनों संगठनों को दी जाने वाली अनुदान-सहायता का अनुपात क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने समाज कल्याण बोर्डों के संविधान को तीन बार संशोधित किया है जबकि अनुसूचित जातियों के समाज सेवी संगठनों के संविधान का एक बार भी पुनर्विचार तथा संशोधन नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कदम उठाये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण कार्यकलापों में लगे संगठनों/संस्थानों को किए गए खर्च या सभी स्रोतों से आय की गणना करने के पश्चात् घाटा जो भी कम हो 90 प्रतिशत सहायक अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषायक निदेशालय, दिल्ली प्रशासन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे संगठन पहले तीन वर्षों के लिए अपने बजट का 80 प्रतिशत और उसके पश्चात् 50 प्रतिशत सहायक अनुदान प्राप्त करते हैं।

दिल्ली राज्य बोर्ड के लिए ऐसा कोई संगठन नहीं है। बोर्ड का पुनर्गठन दिल्ली प्रशासन की एक अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से 2 से 3 वर्ष तक की अवधि के लिये किया जाता है। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन 2 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली प्रशासन के दिनांक 31 जुलाई, 1982 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। 10 सितम्बर, 1986 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इसका कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1986 तक है। जहां तक अनुसुचित जातियों के समाज सेवा संगठन का संबंध है, दिल्ली प्रशासन में एक अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति बोर्ड है जिसका पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाता है।

Construction of roads in Mahdya Pradesh

†3454-B. SHRI KESHAV PRASAD SHUKLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government has submitted certain proposals for the construction of roads in dacoit infested areas of Madhya Pradesh under the Dacoit Elimination Scheme and has sought Centre's approval and financial assistance in this regard;

(b) if so, what are the salient features of the proposals of the State Government and whether the financial sanction has been accorded in this regard; and

(c) if financial sanction has not so far been accorded, by when it is likely to be accorded?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) During 1985-86 the Government of Madhya Pradesh had sent a proposal for construction of 2 roads in dacoit-infested areas, viz. Bargawan-Palpur road measuring 25 kms. in Morena district with estimated cost of Rs. 132 lakhs and Bharoli-Awayan road measuring 15 kms. in Bhind district with estimated cost of Rs. 79.20 lakhs. These works were sanctioned during 1985-86 and an amount of Rs

†Previously Unstarred Question 2988 transferred from the 3rd December, 1986.